UPAZ010103512024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–3, आजमगढ़।

उपस्थित – अजय श्रीवास्तव, (एच०जे०एस०)

J.O.Code U.P. 2403

फौजदारी निगरानी संख्या–342/2024

संत विजय निषाद उम्र तख० 36 वर्ष पुत्र स्व० हरिपाल निषाद, साकिन सेहदा थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ, पेशा अधिवक्ता ..... निगरानीकर्ता

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

2–बाबा भगेलू दास उम्र लगभग 60 वर्ष चेला बाबा कोमलदास, साकिन अहिरौली गोविन्द साहब, थाना कटका, जनपद अम्बेडकरनगर, पेशा अध्यक्ष/ महन्थ, श्री गोविंद साहब मठ।

3. 10–12 व्यक्ति नाम, पता अज्ञात।

..... विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–283/2024 आदि, थाना अतौरलिया, संतविजय निषाद बनाम बाबा भगेलू दास आदि जनपद आजमगढ़ में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 12 आजमगढ़ द्वारा पारित किये गये आदेश दिनाँकित 26.09.2024 के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं०को निरस्त किया है।

2. संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक संत विजय निषाद की ओर से धारा 156(3) बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि "श्री गोविन्द साहब ध्यान योग सेवा संस्थान एवं न्यास परिषद'' साकिन अहिरौली गोविंद साहब, थाना कटका जनपद अम्बेडकरनगर का लीगल एडवार्जर है। गोविन्द साहब मठ के अध्यक्ष/महन्त बाबा भगेलू दास पुत्र चेला बाबा कोमल दास जी द्वारा प्रार्थी का बकाया फीस मु० 11,50,000/ (ग्यारह लाख पचास हजार रूपये) छल कपट और धोखाधडी करते हुये हड़प लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ रिट संख्या .7609/2023 के आदेश पर बाबा भगेलू दास जी ने प्रार्थी को मु० 11,50,000/ (ग्यारह लाख पचास हजार रूपये) का यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा अतरौलिया, आजमगढ़ का चेक नम्बर 16196 दिये परन्तु वह चके बाउंस हो गया। प्रार्थी ने जब इसकी शिकायत किया तो बाबा भगेलू दास ने साजिश के तहत प्रार्थी को दिनांक 24–

Digitally signed by AJAY SRIVASTAVA
Date: 2026.07.03 14:54:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

01–24 को गोविन्द साहब मठ से संबंधित कुटी स्थित ग्राम जोगीपुर (कुटी) थाना अतरौलिया,जनपद आजमगढ़ पर मठ से सम्बंधित फाइलों के साथ बुलाये और कहा कि आपको दूसर चेक दे देंगे। प्रार्थी जब उक्त तिथि को जोगीपुर कुटी पर अपने दो मित्रों के साथ सुबह लगभग 11 बजे पहुंचा। कुटी के अंदर जाने पर देखा कि वहां पर पहल से ही बाबा भगेलू दास जी अपने सरकारी गनर तथा 4–5 अज्ञात व्यक्तियों के साथ बैठे थे। बाबा जी से वार्ता हो रही थी कि कुछ देर बाद 6–7 व्यक्ति नाम,पता अज्ञात भी आ गये तथा कुटी का दरवाजा बंद कर उपरोक्त सभी लोग,सरकारी गनर भी प्रार्थी तथा प्रार्थी के मित्रों को गाली गुप्ता देते हुये थप्पड से मारे पीटे। मोबाइल तोड़ दिये मठ की फाइलों को लूट लिये तथा मूल चेक की मांग किये तो प्रार्थी ने कहा कि मूल चेक घर पर है,तब उपरेाक्त लोगों ने कहा कि दो दिन के अंदर मूल चेक वापस नहीं करेागे तो मुकदमा करने की कोशिश करोगो तो जान से मारने एवं फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी दिये तथा डरा धमकाकर प्रार्थी से कुछ सादे एवं स्टाम्प पेपर पर जबदस्ती हस्ताक्षर भी करवा लिये। उपरोक्त प्रकरण की सूचना स्थानीय थाने पर दिया परन्तु बाबा भगेलू दास जी के प्रभाव में होने के कारण पुलिस द्वारा प्रार्थी का मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया तब प्रार्थी ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को दिनांक 25–01–24 को जरिये रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु वहां से भी कोई कार्यवाही न होने पर तब मजबूर होकर श्रीमान के यहाँ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है।''

3. सुनवाई के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत किये गये उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

4. निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी में यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्य व प्रक्रिया से हटकर आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। हस्तगत मामले में आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा संज्ञेय प्रकृति का गंभीर अपराध आवेदक के साथ अंतर्गत धारा 34,120 बी,147,323,309(4),318,319(2),337,427,504,506 बी०एन०एस० में कारित किये जाने का होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर प आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जो विधिक दृष्टि से अनुमन्य नहीं है। मामला अधिवक्ता को मार पीटकर लूट पाट एवं दस एवं बारह अज्ञात व्यक्तियों से संबंधित है इसलिये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना अत्यंत आवश्यक व न्यायसंगत है क्योंकि उपरोक्त घटना में लूट के सामान की रिकवरी होना एवं अज्ञात अभियुक्तों का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आना आवश्यक है जिसके लिये बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट/ विवेचना हुये संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्वान अवर न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने का आदेश करने में विधिक भूल की है। उपरोक्त कारणों से प्रार्थना है कि निगरानी स्वीकार कर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0–12,

आजमगढ़ प्रकीर्ण वाद संख्या 283/24 संतविजय निषाद बनाम बाबा भगेलू दास आदि में पारित आदेश दिनांकित 26–09–24 निरस्त करने की याचना की गयी।

5. निगरानीकर्ता का यह कथन है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उसके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)दं.प्र.सं. को निरस्त कर विधि त्रुटि की है। प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये संज्ञेय अपराध स्पष्ट रूप से कारित हो रहा है। ऐसे में विद्वान अवर न्यायलय का आदेश दिनांक 26.09.2024 निरस्त करना हितकर होगा। आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा लगाया गया अपहरण का आरोप संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, जिसे अस्वीकार कर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक भूल की गयी है।

6. निगरानीकर्ता ने अपने कथनों के समर्थन में लिखित बहस दाखिल की गयी जिसको पत्रावली पर लिया गया किन्तु उक्त लिखित बहस में कोई ऐसा नया आधार नहीं लिया गया है और वही बाते कही गयी है जो निगरानी में कही गयी है।

7. विपक्षी संख्या–1 राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त करने की याचना की गयी।

8. निगरानी निर्णीत करते समय निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित होता है औ उसे मात्र अवर न्यायालय द्वारा आदेश की शुद्धता व वैधता और औचित्व के संदर्भ में निर्णय देना होता है।

9. प्रस्तुत निगरानी में अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 26.09.2024 के जरिये निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र 156(3)दं०प्र०सं० निरस्त कर दिया गया तथा यह आधार लिया गया कि मात्र पेशबंदी विपक्षी केा हैरान व परेशान करने की नीयत से निगरानीकर्ता द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया है। अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निगरानीकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि रूपये पैसे के लेनदेन और चेक अनादरित के संबंध में उसके द्वारा पूर्व में विपक्षी को अवगत कराया गया परन्तु उनके द्वारा उस नोटिस का कोई जबाब नहीं दिया गया और दिनांक 24.1.24 को उसे मठ पर बुलाकर उसके साथ मारपीट की गयी।

10. इस प्रकरण में यह सुसंगत है कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी की पत्रावली में विपक्षीगण को चेक अनादरित होने के सन्दर्भ में दी गयी नोटिस को लगाया है जो शामिल पत्रालवी है, परन्तु इस प्रकार का कोई भी नोटिस विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, इससे निगरानी न्यायालय यह निष्कर्ष निकालती है कि विद्वान अवर न्यायालय के इस कथानक में बल है कि निगरानीकर्ता द्वारा बिना सम्यक विधिक नोटिस भेजे धारा–138 एन०आई० एक्ट की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी थी जो नियम विरूद्ध है। इस कारण नोटिस के अभाव में धारा–138 एन०आई० एक्ट की कार्यवाही न करने का विद्वान अवर न्यायालय का निर्णय सही

एवं विधि सम्मत है।

11. इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रकरण रूपये के लेनदेन व चेक अनादरित से सबंधित है। ऐसे में कोई प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक विपक्षी एवं निगरानीकर्ता स्वयं से मारपीट होने का कथन है, थाने की आख्या आदि में मार पीट होने की बात नहीं कही गयी है तथा प्रस्तुत प्रकरण में कोई संज्ञेय अपराध होना पुष्ट नहीं होता है। ऐसे में स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध नहीं बनने के कारण प्रार्थनापत्र 156(3)दं०प्र०सं० निरस्त कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी।

12. ऐसे में यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाया गया है वह बलहीन है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3)दं०प्र०सं० निरस्त कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है और यह निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

फौजदारी निगरानी संख्या–342/2024 संतविजय निषाद बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य निरस्त की जाती है। दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–283/2024 संतविजय निषाद बनाम बाबा भगेलू दास आदि, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 12 आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 26.09.2024 पुष्ट किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही नियामनुसार पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो। निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को वापस भेजी जाये।

दिनाँक–03.07.2026

(अजय श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़
J.O.Code U P 2403

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनाँकित करके उदघोषित किया गया।

दिनाँक–03.07.2026

(अजय श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़
J.O.Code U P 2403